

लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाती के बैकलांग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गए 385 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन हेतु प्राथमिकता :-

**COUNSELING FORM**

1. Rank .....
2. Application No .....
3. Name .....
4. Father's Name .....
5. Gender .....
6. Category .....
7. Special Category .....
8. Selection Category .....
9. Home Town .....

NTSP	<input type="checkbox"/>
TSP	<input type="checkbox"/>

**Select District Priority according to Choice for TSP / NTSP**

NTSP DISTRICTS	CHOICE NO	TSP DISTRICTS	Choice No
1. Ajmer		1. Banswara	
2. Alwar		2. Chittorgarh	
3. Baran		3. Dungarpur	
4. Bikaner		4. Pali	
5. Barmer		5. Pratappgarh	
6. Bundi		6. Rajsamand	
7. Bharatpur		7. Sirohi	
8. Bhilwara		8. Udaipur	
9. Cnittorgarh			
10. Churu			
11. Dhaulpur			
12. Dausa			
13. Sriganganagar			
14. Hanumangarh			
15. Jaipur			
16. Jodhpur			
17. Jaisalmer			
18. Jalore			
19. Jhalawar			
20. Jhunjhunu			
21. Kota			
22. Karauli			
23. Nagaur			
24. Pali			
25. Rajsamand			
26. Sirohi			
27. Sikar			
28. Sawai madhopur			
29. Tonk			
30. Udaipur			

51

**Open these only when ticked**

अभ्यर्थी का पति/पत्नी इसी भर्ती में चयनित है (Then show following option)

रोल नं. .... नाम ..... मेरिट नं.....

दोनों के एक ही जिला आवंटन चाहे जाने की स्थिति में काउंसलिंग में दोनों अभ्यर्थियों की वरीयता का निर्धारण दोनों अभ्यर्थियों में से उच्च वरीयता वाले अभ्यर्थी के साथ किया जायेगा।

पति-पत्नी प्रकरण (पति अथवा पत्नी, जैसी स्थिति हो, में से कोई पूर्व से राजकीय सेवा / निगम / बोर्ड / सार्वजनिक उपक्रम / सचिवालय सेवा / विधानसभा सेवा इत्यादि में कार्यरत हो तो यदि हाँ तब

कार्यरत पति/पत्नी के राजकीय सेवा का नाम.....विभाग .....

Employee ID .....पदस्थापन जिला .....

ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता, पति-पत्नी, असाध्य रोग से ग्रसित है, यदि हाँ तब सम्बन्धित पर [ ✓ ] करें।

माता  पिता  पति/पत्नी

ब्रेन ट्यूमर  कैंसर  गुर्दा प्रत्यारोपण  ओपन हार्ट सर्जरी

सम्बन्धित रोग का मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र PDF Format में अपलोड करें।

**अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी विशेष का चयन**

निम्न के अनुसार [ ✓ ] करे एवं बिंदु संख्या ३ व 6 से सम्बन्धित दस्तावेज PDF Format में अपलोड करें।

क्र.	टिक करे	केटेगरी का प्रकार
1.		40 प्रतिशत एवं इससे अधिक दिव्यांग
2.		विधवा महिला (नियुक्ति तिथि तक )
3.		परित्यक्ता महिला (नियुक्ति तिथि तक न्यायालय द्वारा जारी डिक्री)
4.		उत्कृष्ट खिलाड़ी (इसी श्रेणी में चयन होने पर)
5.		एकल महिला (अविवाहित)
6.		शहीद परिवार आश्रित को (वीरांगना/अविवाहित पुत्री)सम्बन्धित शहीद का सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं पुत्री की स्थिति में अविवाहित होने सम्बन्धी शपथ पत्र *

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

## नियम एवं शर्तें :

1. अभ्यर्थियों से चाहे गए विकल्प जिला आवंटन की प्रक्रिया के लिए प्रोविजनल है, उक्त विकल्प को नियुक्ति का अधिकार नहीं माना जाए।
2. वरीयता निर्धारण में अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी विशेष का चयन मार्क किये जाने पर श्रेणी विशेष से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
3. वरीयता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी दर्शाए गए सभी जिलों का चयन मार्क करेगा।
4. दिव्यांग/विधवा/परित्यक्ता/एकल महिला/भूतपूर्व सैनिक/उत्कृष्ट खिलाड़ी/पति-पत्नी प्रकरण (पति अथवा पत्नी, जैसी स्थिति हो, मे से कोई पूर्व से राज्य सेवा में कार्यरत हो)/शहीद परिवार आश्रित (अविवाहित पुत्री/वीरांगना)/ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता, पति/पत्नी असाध्य रोग (ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी) से ग्रसित हो/महिला अभ्यर्थी/उक्त भर्ती मे पति-पत्नी दोनों के चयन होने की स्थिति में, सम्बंधित सभी श्रेणी पर मार्क करेगा।
5. पति-पत्नी के पदस्थापन स्थान पर यदि विकल्प लेना चाहते हैं तो जिले की वरीयता में पति/पत्नी के पदस्थापित जिले को प्रथम प्राथमिकता एवं द्वितीय, तृतीय इत्यादि प्राथमिकता निकटतम (सीमा लगने वाले) जिले को दें। पति/पत्नी के पदस्थापन स्थान को अगर प्रथम स्थान पर नहीं रखा जाता है, तो इस श्रेणी में लाभ नहीं दिया जायेगा एवं अन्य किसी वरीयता श्रेणी में लाभान्वित न होने की स्थिति में उन्हें उनकी मेरिट क्रमांक के अनुसार जिला आवंटन किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी का पति/पत्नी इसी भर्ती में चयनित है तो तो दोनों के एक ही जिला आवंटन चाहे जाने की स्थिति मे काउंसलिंग मे दोनों अभ्यर्थियों की वरीयता का निर्धारण दोनों अभ्यर्थियों मे से उच्च वरीयता वाले अभ्यर्थी के साथ किया जायेगा। अतः उक्त option का चयन ध्यानपूर्वक करे।
7. श्रेणी विशेष के प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को दस्तावेज जाँच के समय प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
8. शहीद परिवार आश्रित (वीरांगना/अविवाहित पुत्री) के सम्बन्धित शहीद का सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होगा।

51